न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00214 (194/2017) 75 एलआरएक्ट

1. भीमसिंह पुत्र. भूरासिंह जाति जटसिख साकिन समरासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. निरंजनसिंह पुत्र भूरासिंह जाति जटसिख साकिन समरासर तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ।
3. प्रकाश सिंह पुत्र भूरासिंह जाति जटसिख साकिन समरासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान। —अपीलाण्ट

बनाम

1. ममतारानी पत्नी महावीर प्रसाद जाति कुम्हार निवासी 24 पीबीएन तहसील पीलीबंगा ज़िला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार राजस्व पीलीबंगा —रेस्पोडेण्ट
3.

विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 005/2015 बअनवानी ममता बनाम भीमसिंह आदि

श्री औमप्रकाश अरोड़ा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय दिनांक—25.06.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने आवेदन पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के पत्थर नं. 14/350 के किला नं. 15 में 0.013 है. उत्तर दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं प्रार्थीया के नाम इसी पत्थर नम्बर के किला नं. 25/2 में 0.013 है. भूमि अप्रार्थी के नाम अंकित किये जाने का अनुतोष चाहा जो अपीलधीन निर्णय से स्वीकार किया गया है ज़िससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल में रेस्पोडेण्ट ने आवेदन पत्र रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत करने पर रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट ने किला नं. 15 में रास्ता नही होने का कथन किया था और यह अंकित किया कि किला नं. 25 में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की 1 बिस्वा कृषि भूमि स्वीकृतशुदा रास्ते से लगती है। प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि को जोडती है यंह कथन रेस्पोडेण्ट ने अपने बयानों में स्वीकार किया है। पत्रावली कैम्प में ले जाकर राजस्व अभियान में अपीलाण्ट को बिना सुने रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्ध है। तहसीलदार अथवा आईएलआर से मौका की रिपोर्ट भी नहीं ली गई है। रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा। अपने कथनों के समर्थन में 2016 आरआरटी पेज 649 एवं 2017 आरआरटी पेज 343 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपील में बहस कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। किला नं. 25 में जो भूमि रेस्पोडेण्ट की है वह रेस्पोडेण्ट की अन्य भूमि से नहीं लगती है। अपीलाधीन निर्णय से जो रास्ता स्वीकृत करवाया है उसके अलावा अन्य कोई रास्ता रेस्पोडेण्ट को आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त कर विधि सम्मत तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है रेस्पोडेण्ट की भूमि भी रास्ते के बदले में अपीलाण्ट को प्रदत्त की गई है। इसलिए अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता स्वीकृति के संबंध में पेश हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से चक 2 बीआरपी के पत्थर नं. 14/350 के किला नं. 15 में 0.013 है. रास्ता उत्तर दिशा में स्वीकृत किया है। तथा रास्ते में आई भूमि के बदले में इसी पत्थर नम्बर की किला नं. 25/2 की 0.013 है. भूमि अप्रार्थी/अपीलार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिये हैं। विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट तहसील दिनांक 06.12.2016 प्राप्त की है जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थीया को अपनी भूमि में प्रवेश करने हेतु कहीं ओर से रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपीलाण्ट के ये कथन कि किला नं. 25 से होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपनी भूमि में प्रवेश कर सकती है माने जाने योग्य नहीं है एवं अपीलाधीन निर्णय से जो किला नं. 25/2 में 0.013 है0 रेस्पोडेण्ट संख्या एक की थी वह प्रश्नगत रास्ता की एवज में अपीलाण्ट्स को प्रदत्त कर दी गई है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया है बह अत्यंतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक काश्तकार को अपनी भूमि में आवागमन किये जाने की दृष्टि से प्रदत्त किया गया है जो उचित प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर संरे इजलास सुनाया गया।

25/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official